

संघ लोक सेवा आयोग
भर्ती-II अनुभाग

पुनः जांच अंतिम जांच / शॉर्टलिस्टिंग विवरण	
पद का नाम	पेटेंट्स डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में ट्रेड मार्क्स और भौगोलिक संकेत के सहायक रजिस्ट्रार के 11 (ग्यारह) (अ.ज.जा.-1, अ.जा.-01, अ.पि.व.-02, ई.डब्ल्यू.एस.-01 और अना.-06) पदों पर भर्ती।
विज्ञापन सं.	16/2019
रिक्ति सं.	19111601223

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा और शॉर्टलिस्टिंग का विवरण आरम्भ में ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 26.11.2021 को अपलोड कर दी गई थी।
- उम्मीदवारों को दिनांक 10.12.2021 तक ई-मेल के माध्यम से अपने अभ्यावेदन को व्यक्त करने के लिए एक विंडो दी गई थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी परन्तु जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, उनमें से किसी का भी उत्तर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यह आश्वस्त किया गया था कि संशोधित संवीक्षा तथा शॉर्टलिस्टिंग का विवरण यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा।
- कुल 26 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनके ऑनलाइन भर्ती आवेदनों के साथ सभी अभ्यावेदनों की जांच की गई है।
- अनुक्रमांक 904, 917, 896, 677, 528, 869, 396, 20, 1133, 165, 593, 509, 464 और 406 ने अभ्यावेदन भेजकर दावा किया है कि वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। अनुक्रमांक 1051, 1104, 1130, 735 और 1030 ने 'अपूर्ण' श्रेणी के तहत उनके आवेदनों को अस्वीकार करने के खिलाफ अपना अभ्यावेदन भेजा है। अनुक्रमांक 853, 1166 और 1146 ने 'एलईक्यू-ख' (आवश्यक योग्यता अनुभव की कमी) श्रेणी के तहत उनके आवेदनों को अस्वीकार करने के खिलाफ अपने अभ्यावेदन भेजे हैं। अनुक्रमांक 776, 818, 117 और 513 ने 'एलईसी' (बढ़ाए गए मानदंड में कमी) श्रेणी के तहत उनके आवेदनों को अस्वीकार करने के खिलाफ अपना अभ्यावेदन भेजा है।
- ज्यादातर ई-मेल में सिर्फ यह सूचना थी कि आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों अथवा अस्वीकृत उम्मीदवारों में अपना अनुक्रमांक नहीं मिला। यह इस कारण हुआ कि यद्यपि सभी आवेदनों पर विचार किया गया था, लेकिन विभिन्न वर्गों के तहत अपनाए गए मानदंडों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आए 220 आवेदनों में ये स्थान नहीं प्राप्त कर सके। उनके आवेदनों को संबंधित श्रेणियों के लिए बढ़ाकर अपनाए गए मानदंडों से कम अनुभव होने के कारण एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी) श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया था।

- कुछ अन्य ई-मेल आयोग के अनुदेशों तथा प्रत्येक विज्ञापन में उल्लिखित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त सूचना का अनुपालन करने में उम्मीदवारों की असमर्थता के संबंध में केवल बहाना है।
- कुछ उम्मीदवारों, जिनके आवेदनों को अपूर्ण की श्रेणी में अस्वीकार किया गया, उन्होंने या तो अपने अभ्यावेदन के साथ दस्तावेजों को अपलोड किए जाने या प्रस्तुत करने की पेशकश की है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, कि ई-मेल के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों को न ही खोला गया और न ही उन पर विचार किया गया। इस स्तर पर उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की पेशकश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दस्तावेजों को ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) के साथ आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से पहले अर्थात् 12.12.2019 तक ही अपलोड किए जाने थे। जिन उम्मीदवारों के द्वारा ओआरए के साथ अंतिम तिथि से पहले दस्तावेज अपलोड किया गया था परन्तु उनके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त समर्थित दस्तावेज अपेक्षित थे तथा अन्यथा उनको प्रथम दृष्टया योग्य मानकर शॉर्टलिस्ट किया गया, उन्हें 24.11.2020 तक अपेक्षित दस्तावेज जमा कराने को कहा गया था। उस मामले में भी संवीक्षा आरम्भ होने के पश्चात् प्राप्त हुए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। अतः अब दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तथा ई-मेल के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। ऐसे सभी उम्मीदवारों की अस्वीकृतियाँ, अपूर्ण की श्रेणी में रखी गई।
- कुछ उम्मीदवारों को पहले अस्वीकार कर दिया गया था, परन्तु अब उनके अभ्यावेदनों की जांच के पश्चात् उन्हें योग्य पाया गया तथा उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है तथा साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही जो उम्मीदवार पहले शॉर्टलिस्ट किए गए थे तथा उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् अयोग्य पाए गए, उन्हें सूची से हटा दिया गया है।
- तदनुसार, आवेदनों की संशोधित संवीक्षा निम्नानुसार है:-

अनिवार्य योग्यता (ईक्यू)

(क) **शैक्षणिक:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ख) **अनुभव:**

एलएलबी डिग्री धारकों के लिए - किसी बार में पांच वर्ष की प्रैक्टिस या राज्य न्यायिक सेवा में या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के विधि विभाग में या ट्रेड मार्क्स अधिनियम अथवा भौगोलिक संकेत अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए दर्ज किए गए आवेदनों के प्रोसेसिंग में या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि शिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव।

या

एलएलएम डिग्री धारकों के लिए - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में विधि शिक्षण या विधि पर शोध करने में तीन वर्ष का अनुभव।

वांछनीय योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्धिक संपदा में पीएच.डी.।

<p>अपनाए गए मानदंड</p>	<p>(i) संवीक्षा ऑनलाइन की गई, पहले उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर कंप्यूटर द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में की गई, जिन्हें ऑनलाइन आवेदनों में उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया।</p> <p>(ii) आवेदनों की संवीक्षा, पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई।</p> <p>(iii) उम्मीदवार के दावे के आधार पर अनुभव की कुल अवधि पर विचार किया गया है, यदि इस संबंध में अपेक्षित समर्थक प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हों।</p> <p>(iv) भर्ती नियमों और विज्ञापन के अनुसार किसी भी एक निर्धारित क्षेत्र में 5 वर्ष/ 3 वर्ष के अपेक्षित अनुभव को उन उम्मीदवारों के संबंध में स्वीकार किया गया है जिनके पास क्रमशः एलएलबी डिग्री या एलएलएम डिग्री (विधि के अध्यापन या अनुसंधान करने में विशिष्ट अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) है। यदि उम्मीदवारों के पास आवश्यक योग्यता में यथाउल्लिखित विभिन्न क्षेत्रों में 5/3 वर्ष का न्यूनतम अपेक्षित अनुभव से अधिक का अनुभव है, तो ऐसे अनुभव को उन्नत मानदंड निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा गया है।</p> <p>(v) जिन उम्मीदवारों के पास पद संबंधी भर्ती नियमों और विज्ञापन में यथानिर्धारित संगत क्षेत्र में अनुभव नहीं है या भर्ती नियमों में यथाउल्लिखित अनिवार्य अवधि परिकल्पित प्रासंगिक अनुभव से कम है, ऐसे उम्मीदवारों को "एलईक्यू.-ख" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है। आवेदक जो प्रासंगिक अनुभव का दावा करते हैं लेकिन उसके समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र किए गए दावे का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें भी "एलईक्यू.-ख" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया।</p> <p>(vi) यदि किसी उम्मीदवार ने ओआरए में वांछनीय योग्यता रखने का दावा किया है, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज / प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया है तो ऐसे आवेदन को एलडीक्यू (वांछनीय योग्यता की कमी) के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>(vii) उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया गया/उपलब्ध हो। अतः, जिन उम्मीदवारों ने अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड/उपलब्ध नहीं कराया है उनके आवेदनों को "अपूर्ण आवेदन" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसे अनुभव प्रमाण पत्रों पर भी विचार नहीं किया गया, जिनमें कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है और उन्हें "अपूर्ण आवेदन" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया। इसी प्रकार, जो आवेदक प्रासंगिक अनुभव का दावा करते हैं, लेकिन उसके समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र दावा की गई पूरी अवधि के नहीं हैं या किए गए दावे का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें भी "अपूर्ण" के रूप में अस्वीकृत कर दिया जाता है।</p>
------------------------	--

	<p>(viii) जिन उम्मीदवारों ने न तो मार्कशीट और न ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की डिग्री प्रस्तुत की है, उनके आवेदन "अपूर्ण आवेदन" की श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिए गए हैं। यदि उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज सुपाठ्य नहीं हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन को भी "अपूर्ण आवेदन" के रूप में अस्वीकृत कर दिया गया है।</p> <p>(ix) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, पंजीकरण/नामांकन प्रमाण पत्र, त्यागपत्रों, कार्यमुक्ति आदेशों, वेतन प्रमाण पत्र तथा स्वरोजगार प्रमाण पत्रों पर, अनुभव के प्रमाण के तौर पर विचार नहीं किया गया। साथ ही, 'इंटर्न' के रूप में अनुभव को भी प्रासंगिक अनुभव नहीं माना गया है। बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने के दौरान प्राप्त अनुभव पर विचार नहीं किया गया है। किसी सरकारी विभाग/एजेंसी में अभियोजक के रूप में अनुभव को भी उम्मीदवारों की पात्रता तय करने के लिए अधिवक्ता के रूप में अनुभव के साथ भी विचार किया गया।</p> <p>(x) अनुभव प्रमाण पत्र, आयोग के परिपत्र फा.सं. 8/84/2010-भर्ती.(समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 की शर्तों के अनुसार विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। हालांकि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी, उनके अनुभव प्रमाणपत्र पर विचार किया गया यदि उनका अनुभव प्रमाणपत्र अन्यथा विहित अनुभव प्रमाणपत्र में दिए गए ब्यौरे को पूरा करता है।</p> <p>(xi) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया गया।</p>
--	---

<p>शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपनाए गए मानदंड</p>	<p><u>अनारक्षित पद के लिए:</u></p> <p>मानदंड: (1) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को बढ़ाकर 13 वर्ष कर दिया गया है। या</p> <p>(2) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को (एलएलएम और विधि अध्यापन या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने में विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 11 साल तक बढ़ाया गया। या</p> <p>(3) अ.यो.-क + अ.यो.-ख + वां.यो.</p> <p><u>अ.पि.व. पद के लिए:</u></p> <p>मानदंड: (1) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को 13 साल तक बढ़ाया गया। या</p> <p>(2) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को (एलएलएम और विधि अध्यापन या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने में विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 11 साल तक बढ़ाया गया। या</p> <p>(3) अ.यो.-क + अ.यो.-ख + वां.यो.</p>
--	--

	<p><u>ईडब्ल्यूएस पद के लिए:</u> मानदंड: (1) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। या (2) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को (एलएलएम और विधि अध्यापन में या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने में विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 8 वर्ष तक बढ़ाया गया। या (3) अ.यो.-क + अ.यो.-ख + वां.यो.</p> <p><u>अनु.जाति पद के लिए:</u> मानदंड: (1) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। या (2) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को (एलएलएम और कानून शिक्षण में या केवल किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने में विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 8 वर्ष तक बढ़ाया गया । या (3) अ.यो.-क + अ.यो.-ख + वां.यो.</p> <p><u>अनु.ज.जाति पद के लिए:</u> मानदंड: (1) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को बढ़ाकर 9 वर्ष कर दिया गया है। या (2) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को (एलएलएम और कानून शिक्षण में या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने में विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 7 वर्ष तक बढ़ाया गया । या (3) अ.यो.-क + अ.यो.-ख + वां.यो.</p>
--	---

प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 1181

विज्ञापन के प्रत्युत्तर में 1181 आवेदन प्राप्त हुए। उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदनों में दिए गए विवरण और अपलोड किए गए सहायक दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन जांच की गई उपरोक्त शॉर्टलिस्टिंग मानदंड को अपनाने के बाद, 220 (अ.ज.जाति-21, अ.जाति-59, अ.पि.व.-56, ईडब्ल्यूएस-09 और अना.-75) आवेदन विचारार्थ क्षेत्र के तहत लिए गए हैं। बड़े हुए मानदंड से कम अनुभव का दावा करने वाले उम्मीदवारों को एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी) श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

01 (एक) अनुसूचित जनजाति रिक्ति के लिए संवीक्षा:

मानदंड: (1) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को बढ़ाकर 9 वर्ष कर दिया गया है।

या

(2) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को (एलएलएम और विधि अध्यापन में या केवल किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने का विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 7 साल तक बढ़ा दिया गया है।

या

(3) अ.यो.-क + अ.यो.-ख + वां.यो.

विचारार्थ क्षेत्र के तहत आवेदनों की कुल संख्या: 21

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए:

अनुक्रमांक. 1134, 1138, 1139, 1144, 1150, 1152, 1153, 1154, 1156, 1170, 1178 (11 उम्मीदवार)
--

अस्वीकृति:

एलडीक्यू (वांछनीय योग्यता की कमी):

अनुक्रमांक: 1173 (01 उम्मीदवार)

अपूर्ण: अनुक्रमांक: 1142, 1168 (02 उम्मीदवार)

एलईक्यू-ख (आवश्यक योग्यता की कमी-ख)

उम्मीदवार जो दावा किए गए अपने कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परन्तु उनके पास संगत अनुभव नहीं है या संवीक्षा के दौरान यथा परिकल्पित संगत अनुभव भर्ती नियमों में दिए गए अनिवार्य अनुभव से कम है ।

अनुक्रमांक: 1136, 1163, 1166, 1167, 1169 (05 उम्मीदवार)

एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड की कमी)

उम्मीदवार जो दावा किए गए अपने कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परन्तु संवीक्षा के दौरान यथापरिकल्पित संगत अनुभव बढ़ाए गए अनुभव से कम लेकिन भर्ती नियम में दिए गए अनिवार्य अनुभव से अधिक है।

अनुक्रमांक : 1146, 1157 (02 उम्मीदवार)

01 (एक) अनुसूचित जाति रिक्ति के लिए संवीक्षा:

मानदंड: (1) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

या

(2) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को (एलएलएम और विधि अध्यापन रखने या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने में विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 8 वर्ष तक बढ़ाया गया।

या

(3) अ.यो.-क + अ.यो.-ख + वां.यो.

विचारार्थ क्षेत्र के तहत कुल उम्मीदवार: 59

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले:

अनुक्रमांक: 956, 958, 961, 965, 967, 968, 974, 976, 982, 985, 986, 1002, 1016, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1032, 1043, 1047, 1051, 1058, 1079, 1081, 1088, 1095, 1112, 1114, 1117, 1120, 1130, 1131 (33 उम्मीदवार)

एलडीक्यू (वांछनीय योग्यता की कमी) :

अनुक्रमांक: 1102 (01 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक: 953, 964, 973, 991, 1003, 1008, 1023, 1030, 1033, 1036, 1048, 1053, 1060, 1061, 1073, 1074, 1090, 1091, 1094, 1097, 1104, 1125 (22 उम्मीदवार)

एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी)

उम्मीदवार जो दावा किए गए अपने कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परन्तु संवीक्षा के दौरान यथापरिकल्पित संगत अनुभव बढ़ाए गए अनुभव से कम लेकिन भर्ती नियम में दिए गए अनिवार्य अनुभव से अधिक है।

अनुक्रमांक: 1031, 1093, 1119 (03 उम्मीदवार)

02 (दो) अन्य पिछड़ा वर्ग रिक्ति के लिए संवीक्षा:

मानदंड: (1) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को बढ़ाकर 13 वर्ष कर दिया गया है।

या

(2) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को (एलएलएम और विधि अध्यापन में या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने का विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 11 साल तक बढ़ा दिया गया है।

या

(3) अ.यो.-क+ अ.यो.-ख + वां.यो.

विचारार्थ क्षेत्र के तहत कुल उम्मीदवार: 56

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु:

अनुक्रमांक: 594, 665, 666, 682, 687, 692, 693, 698, 701, 703, 705, 736, 748, 760, 764, 766, 770, 777, 784, 824, 841, 866, 877, 884, 886, 897, 926, 931, 936 (29 उम्मीदवार)

अस्वीकृति:

एलडीक्यू (वांछनीय योग्यता में कमी) :

अनुक्रमांक: 720, 731, 911 (03 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक: 598, 610, 671, 702, 727, 735, 765, 795, 836, 874, 935, 949 (12 उम्मीदवार)

अधिक आयु:

अनुक्रमांक: 940 (वह 100 प्रतिशत नेत्रहीन है। शारीरिक दिव्यांगता की यह श्रेणी प्रश्नगत पद के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए वह विचाराधीन पद के लिए अधिक आयु है।) (01 उम्मीदवार)

एलईक्यू-बी (अनिवार्य योग्यता- की कमी ख)

उम्मीदवार जो दावा किए गए अपने कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परन्तु उनके पास संगत अनुभव नहीं है या संवीक्षा के दौरान यथा परिकल्पित संगत अनुभव भर्ती नियमों में दिए गए अनिवार्य अनुभव से कम है ।

अनुक्रमांक: 757, 758, 776, 803, 853, 895 (06 उम्मीदवार)

एलईसी (बढ़ाए मानदंड में कमी)

उम्मीदवार जो दावा किए गए अपने कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परन्तु संवीक्षा के दौरान यथापरिकल्पित संगत अनुभव बढ़ाए गए अनुभव से कम लेकिन भर्ती नियम में दिए गए अनिवार्य अनुभव से अधिक है।

अनुक्रमांक: 601, 762, 818, 819, 842 (05 उम्मीदवार)

01 (एक) ईडबल्यूएस रिक्ति के लिए संवीक्षा:

मानदंड: (1) अ.यो-क + अ.यो-ख को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

या

(2) अ.यो -क + अ.यो -ख को (एलएलएम और विधि अध्यापन में या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने का विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 8 साल तक बढ़ा दिया गया है।

या

(3) अ.यो. -क+ अ.यो -ख + वां.यो.

विचारार्थ क्षेत्र के तहत कुल उम्मीदवार: 09

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु:

अनुक्रमांक. 623, 625, 627, 635, 644, 647, 654 (07 उम्मीदवार)

अस्वीकृति:

अपूर्ण: अनुक्रमांक: 643 (01 उम्मीदवार)

एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी)

उम्मीदवार जो दावा किए गए अपने कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परन्तु संवीक्षा के दौरान यथापरिकल्पित संगत अनुभव बढ़ाए गए अनुभव से कम लेकिन भर्ती नियम में दिए गए अनिवार्य अनुभव से अधिक है।

अनुक्रमांक: 645 (01 उम्मीदवार)

06 (छः) अनारक्षित रिक्ति के लिए संवीक्षा:

मानदंड: (1) अ.यो.-क + अ.यो.-ख को बढ़ाकर 13 वर्ष कर दिया गया है।

या

(2) अ.यो. -क + अ.यो. -ख को (एलएलएम और विधि अध्यापन में या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में विधि पर शोध करने का विशेष अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में) 11 साल तक बढ़ा दिया गया है।

या

(3) अ.यो.-क+ अ.यो.-ख + वां.यो.

विचार क्षेत्र के तहत कुल उम्मीदवार: 75

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु:

अनुक्रमांक. 17, 21, 36, 47, 55, 58, 95, 96, 107, 143, 154, 159, 167, 175, 187, 191, 192, 221, 239, 249, 255, 279, 298, 304, 319, 320, 349, 355, 375, 385, 386, 395, 411, 413, 416, 458, 483, 486, 490, 501, 513, 560, 571 (43 उम्मीदवार)

अस्वीकृतियां:

एलडीक्यू (वांछनीय योग्यता में कमी):

अनुक्रमांक: 5, 111, 173, 233, 460, 582 (06 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक: 120, 148, 202, 209, 322, 342, 347, 430, 471, 498, 541 (11 उम्मीदवार)

अधिक आयु: अनुक्रमांक. 210, 352 (02 उम्मीदवार)

डुप्लीकेट:- अनुक्रमांक. 106 (01 उम्मीदवार)

एलईक्यू-बी (आवश्यक योग्यता की कमी - ख)

उम्मीदवार जो दावा किए गए अपने कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परन्तु उनके पास संगत अनुभव नहीं है या संवीक्षा के दौरान यथा परिकल्पित संगत अनुभव भर्ती नियमों में दिए गए अनिवार्य अनुभव से कम है ।

अनुक्रमांक: 57, 60, 206, 554 (04 उम्मीदवार)

एलईसी (बढ़ाए गए मानदंड में कमी)

उम्मीदवार जो दावा किए गए अपने कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं परन्तु संवीक्षा के दौरान यथापरिकल्पित संगत अनुभव बढ़ाए गए अनुभव से कम लेकिन भर्ती नियम में दिए गए अनिवार्य अनुभव से अधिक है।

अनुक्रमांक: 15, 18, 90, 117, 128, 278, 431, 565 (08 उम्मीदवार)

बढ़ाए गए शॉर्टलिस्टिंग मानदंड नहीं होने के कारण शेष 961 आवेदन विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(961 आवेदन)

टिप्पणी: शॉटलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि साक्षात्कार के लिए आयोग में आने के समय, सभी समर्थित दस्तावेजों की मूल प्रति साथ लाएं। साक्षात्कार के दिन इन दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और उनके मूल दस्तावेजों के अनुसार उनके आवेदन में उल्लिखित सभी तथ्यों के सही पाए जाने पर ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग
दूरभाष:23381440

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।